



पत्रांक-03/परि०आ०-09/2019....1.4.1.8...

/राँची, दिनांक- 30.12.2020

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

विषय: परिवहन विभाग से संबंधित आवश्यक सूचना के प्रकाशन के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परिवहन विभाग द्वारा Revision of Axle Weight से संबंधित आवश्यक सूचना तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त आवश्यक सूचना का प्रकाशन राज्य के सभी दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में लगातार दो दिन तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची


॥ वाहन स्वामियों के लिए आवश्यक सूचना ॥

एतद् द्वारा सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना गजट सं०-2696, दिनांक-16.07.2018 द्वारा टायरों के आकार, प्रकृति और संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन यानों (मोटर कैबों को छोड़कर) के संबंध में प्रत्येक प्रकार के धुरी के लिए अधिकतम सुरक्षित धुरी भार (Maximum Safe Axle Weight) को अधिसूचित निम्नवत किया गया है :-

Maximum Safe Axle Weight		
SLNo.	Axle Type	Maximum Safe Axle Weight
1.	Single Axle	
1.1	Single Axle with single Tyre	3.0 tonnes
1.2	Single Axle with Two Tyres	7.5 tonnes
1.3	Single Axle with four Tyres	11.5 tonnes*
2.	Tandem Axles (Two axles) (where the distance between two axles is less than 1.8 Mtr.)	
2.1	Tandem axle for rigid vehicles, trailers and semi-trailers	21 tonnes*
2.2	Tandem axle for Puller tractors for hydraulic and pneumatic trailers	28.5 tonnes
3.	Tri-axles (Three axles) (where the distance between outer axles is less than 3 Mtr.)	
3.1	Tri-axle for rigid vehicles, trailers and semi-trailers	27 tonnes*
4.	Axle Row (two axles with four tyres each) in Modular Hydraulic trailers (9 tonnes load shall be permissible for single axle)	18 tonnes
* Note : If the vehicle is fitted with pneumatic suspension, 1 tone extra load is permitted for each axle.		

सभी व्यवसायिक वाहनों के मालिकों से अनुरोध है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक अधिसूचना के अनुरूप अपने वाहन का अधिकतम सुरक्षित धुरी भार (Maximum Safe Axle Weight) का पुनरीक्षण संबंधित जिला परिवहन कार्यालय से कराना सुनिश्चित किया जाय।

सचिव, परिवहन विभाग के आदेश से,


संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।